

संख्या-6/एफ1-303/2018 श्र0सं0-

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, मुंगेर ।

पटना, दिनांक- 6.11.18

विषय:-

बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में धावा दल के रूप में उपयोग की गयी भाड़े की गाड़ी का बकाया राशि माह नवंबर 2017 से माह मार्च 2018 तक के भुगतान करने से संबंधित आदेश देने के संबंध में ।


प्रसंग:-

उप श्रमायुक्त मुंगेर का पत्रांक-563 दिनांक-12.07.18 एवं पत्रांक-721 दिनांक-29.09.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मॉग सं०-26-उप शीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में CFMS Order No.-1693 dt.-19-6-18 द्वारा Object Head 13-10-Hire Car (विषयशीर्ष-0103.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान) से आवंटित की गयी कुल रू. 3,74,400/- (रू. तीन लाख चौहत्तर हजार) मात्र से, गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह नवंबर 2017 से माह मार्च 2018 तक धावा दल के रूप में उपयोग की गयी भाड़े की गाड़ी की बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन



(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/एफ1-303/2018 श्र0सं0-

2495

पटना, दिनांक-

6.11.18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।